

फर्द अहकाम

बनाम

आयालय
ख्या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
5/12/24	पतावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। पतावली वास्ते अवलोकन तहसीलदार रिपोर्ट एवं राजीनामा दिनांक 16/12/24 को पेश हो।	सिमा
16/12/24	पतावली पेश हुई। वकील वादी पक्षकार उपस्थित। पतावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23/12/24 को पेश हो।	
23/12/24	पतावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। पतावली तहसीलदार रिपोर्ट एवं राजीनामा के अवलोकन पश्चात् अंतिम आदेश हेतु दिनांक 26/12/24 को पेश हो।	
26/12/24	पतावली पूर्व आदेश के अनुसार दिनांक 30/12/24 को पेश हो।	
30/12/24	पतावली पेश हुई। अंतिम आदेश हेतु आज तारीख 30/12/24 को पेश हुई। कक्षीगण द्वारा पुस्तक वाक खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल है। पतावली फंसल नम्बर से कम होकर नम्बर से कम होकर 30/12/24	

अंतिम डिक्ली मुकदमा इब्लदाई
(ओ.20 रुल्स 6 व 7 जाब्ला दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी शिप्रा जैन (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर
वादीगण प्रतिवादीगण

बनाम

1. काली बेवा भूराराम
2. पप्पू पुत्र भूराराम
जाति रैगर निवासी ग्राम हाल
तूंगा तह0 बस्सी जिला जयपुर।

1. रामजीलाल भूराराम
2. रामधन पुत्र भूराराम
जाति रैगर निवासी ग्राम हाल तूंगा तह0
बस्सी जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
बस्सी तह. बस्सी, जिला जयपुर।

दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

मुकदमा नम्बर 184/2019 (34/2011)
जीसीएमएस नम्बर:—2019/00373

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 में स्थापित विधिक प्रावधानों के तहत वादीगण मृतक खातेदार भूराराम की वल्लिद्यत दुरुस्त कराने व विरासत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत करवा कर खातेदारी प्रविष्टियां दर्ज कराने के लिये स्वतन्त्र है। वादीगण द्वारा चाहा स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।.....निजी.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा..... इस मुकददमें का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा करें। बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 30.12.2024 को जारी किया गया।

मोहर

ओहदा.....

दस्तख्त.....
सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट:— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्ली के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण